कार्यालय, नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा

का0आ0संख्या: 217/NA दिनांक : 15-1-13

आदेश

कृपया अधोहस्ताक्षरी के पत्र सं0 186/एन/12 दिनांक 25.09.2012 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा विस्तृत रूप से निर्माण कार्यों के संबंध में निम्न निर्देश दिये गये हैं -

1. समस्त आगणन/प्रस्ताव बनाने से पूर्व जहाँ कार्य होना है, उनकी मौके पर जाकर यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सड़क निर्माण के स्थान पर जल निकासी की व्यवस्था है कि नहीं। यदि नहीं है तो जल निकासी की समुचित व्यवस्था भी आगणन में सम्मिलित कर ली जाये। जहाँ सड़क नीची है और लोगों ने अपने घरों की ओर नाली बन्द करके ऊँचे बना रखा है, वहाँ पर सड़क का ढाल नाली की तरफ किया जाये। यदि क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा अतिक्रमण कर रखा है तो सड़क बनाने से पूर्व उन्हें अवगत कराया जाये। यदि वह अतिक्रमण नहीं हटाते हैं, तो सम्बन्धित विभाग के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाया जाना सुनिश्चित किया जाये तभी सड़क निर्माण किया जाये। इस हेतु क्षेत्रीय सभासद का सहयोग लिया जाये।
2. टाईल्स की सड़क बनाते समय वेस मैटेरियल जो प्रस्तावित है, के स्थान पर केवल बालू बिछाकर ही टाईल्स लगा दिये जाने की शिकायत जनता एवं क्षेत्रीय पार्षदों के द्वारा की जा रही है। टाईल्स की स्ट्रेंथ मशीन द्वारा जाँच कराने के उपरान्त ही टाईल्स/वेस मैटेरियल आगणन के अनुसार ही लगवाये जाये।
3. आगणन में प्राविधानित मानकों के अनुसार ही सड़क निर्माण कार्य कराया जाये। यदि सड़क निर्माण में गुणवत्ता खराब पायी जाती है, तो मुख्य अभियन्ता सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता जिम्मेदार होंगें।
4. हॉटमिक्स से सड़क बनाते समय जहाँ सड़क बनायी जानी है, वहाँ पर एवं हॉटमिक्स प्लांट पर सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता की ड्यूटी लगायी जाये तथा उनके देख-रेख में सड़क निर्माण कराया जाये।
5. जिस सड़क का निर्माण हो रहा है उसके आस-पास के चार-पाँच लोगों के नाम, पते व मोबाइल नम्बर लेकर पत्रावली में रखें जिससे भुगतान से पूर्व उनसे भी सड़क के निर्माण के बारे में पूर्ण जानकारी की जा सके।
6. सड़क बनाने से पूर्व सभी विभागों यथा बी0एस0एन0एल0, मै0 टोरेंट पावर, जलनिगम आदि से यह पूछ लिया जाये कि उनके विभाग द्वारा उक्त स्थल पर कोई रोड कटिंग का कार्य तो प्रस्तावित नहीं है। यदि है, तो रोड कटिंग की अनुमति प्राप्त कर कार्य करा ले। सड़क निर्माण के उपरान्त कोई भी रोड कटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी। सभी विभागों को टेण्डर जारी करते समय ही प्रस्तावित कार्यों की सूची भेज दी जाये, जिससे उन्हें पता रहे कि अमुक सड़क बनने जा रही है। यदि उन्हें कोई कार्य कराना है, तो सड़क बनने से पहले ही 15 दिन के अन्दर रोड कटिंग की अनुमति लेकर अपना कार्य करा लें।
7. सड़क निर्माण करते समय मैनहोलों को सड़क में दबा दिया जाता है, जिससे सीवर की सफाई कार्य में कठिनाई होती है तथा सीवर साफ करने हेतु सड़क क्षतिग्रस्त करनी पड़ती है। सड़क बनाने से पूर्व सम्बन्धित जलकल विभाग से सम्पर्क कर मैनहोलों को ऊँचा कराकर ही सड़क निर्माण कराया जाये। यदि सड़क निर्माण करते समय मैनहोल ढक दिये जाते हैं, तो उसको खोलने पर हुए व्यय की कटौती सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के वेतन से की जायेगी। निर्माण की योजना बनाते समय यदि मैनहोल ऊँचे या नीचे होने हैं, तो उसका व्यय भी आगणन में शामिल कर लिया जाये।
8. भुगतान की पत्रावली प्रस्तुत करने से पूर्व मुख्य अभियन्ता स्वयं मौके पर जाकर यह सुनिश्चित कर लें कि ठेकेदार द्वारा टेण्डर आगणन, अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्य किया है या नहीं।
9. निर्माण कार्य में प्रयोग किये जाने वाली सामग्री यथा-बालू, सीमेंट आदि की मात्रा से क्षेत्रीय पार्षद को पूर्व में ही सूचना दे दी जाये। जिससे कि वह कार्य को अपनी देख-रेख में सम्पन्न करा सकें तथा आगणन की एक फोटोप्रति क्षेत्रीय सभासद को अनिवार्य रूप से दे दी जाये जिससे वह कार्य की गुणवत्ता पर नजर रख सके।
10. सड़क बनाने से पूर्व उस सड़क के दोनों ओर रहने वालो के साथ क्षेत्रीय सभासद की उपस्थिति में एक बैठक कर ली जाये तथा उन्हें आगणन/सामग्री, ठेकेदार आदि की बारे में विस्तृत जानकारी दे दी जाये एवं बैठक का कार्यवृत्त पत्रावली पर रखा जाये तथा उनमें से ही चार लोगों को चयनित करके उनके नाम/फोन नम्बर पत्रावली पर रखें।
11. अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता निर्माण कार्यों पर विशेषकर समय-समय पर निरीक्षण करेंगें एवं देखेंगें कि कार्य गुणवत्ता पूरक/मानक अनुसार हो तथा जब निरीक्षण करें तो उसकी टिप्पणी लिखित में तैयार करें तथा उसे निर्माण पत्रावली पर रखा जाये।

12. अन्तिम भुगतान की पत्रावली प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि मलवा/वेस्ट मैटेरियल साइट से हटा दिया गया है, क्योंकि देखने में यह आया है कि मलवा/वेस्ट मैटेरियल ठेकेदार साइट पर छोड़कर कर चले जाते हैं। नोट शीट में इसका प्रमाण-पत्र अंकित करेंगें।
13. यदि किसी कार्य में विचलन की आवश्यकता हो तो उसकी पूर्व अनुमति लेकर ही कार्य कराया जाये।
14. दिनांक 01-04-2012 के बाद अनुबन्ध सभी कार्यों एवं उनके आगणन को नगर निगम की website पर भी जनता के अवलोकनार्थ लोड कर दें, जिससे कोई भी व्यक्ति देख सके कि कौन-कौन से कार्य बजट में हो रहे हैं तथा उनके आगणन में व्यय क्या प्रस्तावित है।

निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान कुछ तथ्यप्रकाश में आये हैं उसके लिए पुनः निर्माण कार्यों के संबंध में निम्न निर्देश और दिये जाते हैं -

1. कुछ स्थानों पर निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आगणन की प्रति क्षेत्रीय पार्षद एवं क्षेत्रीय जनता के मुख्य व्यक्ति को नहीं दी गयी हैं। यह उचित नहीं हैं भविष्य में यह तथ्य प्रकाश में आता है तो संबंधित अवर अभियन्ता को इसके लिए दोषी मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।
2. 5 लाख से अधिक के कार्यों के संबंध में यह निर्देश दिये गये है कि वहाँ पर कार्य के विवरण का बोर्ड लगाया जाए। परन्तु इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि बोर्ड नहीं लगाया जा रहा है। इसे गम्भीरता से लेते हुए कार्यस्थल पर बोर्ड लगाया जाना सुनिश्चित करें।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उस क्षेत्र की जनता के साथ बैठक की जानी है तथा उस बैठक में क्षेत्रीय पार्षद को आमंत्रित किया जाना आवश्यक है। सभी लोगों को कार्य के बारे में विस्तृत रूप से बताना है तथा कार्य 5 लाख से अधिक का है तो उसी दिन कार्यस्थल पर बोर्ड लगाया जाए तथा पब्लिक मीटिंग एवं बोर्ड की एक फोटो खींच कर श्री सौरभअग्रवाल, आई.टी.ओ. को दी जाए जो उस फोटो को वेबसाइट पर कार्य के विवरण में अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
4. कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व स्थल के 2 फोटो, कार्य के दौरान 2 फोटो एवं कार्य के समाप्ति पर 2 फोटो लेकर श्री सौरभ अग्रवाल, आई.टी.ओ. को दिया जाना सुनिश्चत करेंगे जो वेबसाइट पर कार्य के विवरण में अपलोड करेंगे इसकी जिम्मेदारी क्षेत्रीय अवर अभियन्ता की होगी तथा इस कार्य को संबंधित जोनल अभियन्ता अपनी देखरेख में कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
5. निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कार्यस्थल पर पुरानी ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है इसके संबंध में यह सुनिश्चित किया जाए कि जो पुरानी ईंटे ठीक हैं केवल उन्हीं पुरानी ईंटों का ही प्रयोग किया जाए खराब ईंटों का प्रयोग न किया जाए। खराब ईंटों को स्टोर में लाकर नीलाम किया जाए तथा यथासम्भव नई ईंटों का ही प्रयोग किया जाए क्योंकि पुरानी ईंटों में प्लास्टर मजबूती से पकड़ नहीं पाता है।
6. सहा0अभि0/अधि0अभि0/मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रत्येक कार्य का स्थल निरीक्षण किया जाए तथा निरीक्षण टिप्पणी की प्रति श्री सौरभ, आईटीओ को दी जाए जो उस टिप्पणी को वेबसाइट पर अपलोड करेंगें तथा 01, अप्रैल से अब तक के सभी कार्यों की निरीक्षण टिप्पणी की प्रतियाँ सहा0अभि0/अधि0अभि0/मुख्य अभियन्ता एक सप्ताह में श्री सौरभ अग्रवाल, आईटीओ को प्राप्त करायेंगें। श्री सौरभ अग्रवाल निरीक्षण टिप्पणियों को उनके कार्य के विवरण के कॉलम के अनुसार अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेंगें जिससे यह ज्ञात हो सके कि कब-कब क्या निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान संबंधित ठेकेदार, अवर अभियन्ता को क्या निर्देश दिये गये साथ ही इनकी प्रतियों पत्रावली पर भी हों। लेखा विभाग भुगतान करने से पूर्व यह देखेगा कि पत्रावली का विवरण वेबसाइट पर है। 01 अप्रैल, 2012 से किसी भी निर्माण कार्य की पत्रावली का भुगतान जब तक नहीं किया जायेगा जब तक उसका पूर्ण विवरण वेबसाइट पर अपलोड न हो। लेखा विभाग प्रत्येक पत्रावली के भुगतान करने के पश्चात भुगतान का विवरण वेबसाइट पर भी अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करेगा।
7. वेबसाइट के निर्माण प्रारूप में जो फीडिंग करायी गयी है उसे अवर अभियन्ता के अनुसार प्रिन्ट कर विवरण पत्र आज दिनांक 15.01.2013 को मीटिंग में उपलब्ध करा दिये गये हैं तथा अपेक्षा की गयी है कि संशोधन कर अपने हस्ताक्षर के साथ त्रुटियों को संशोधित करायेंगे। जिससे वेबसाइट पर शुद्ध एवं त्रुटिरहित विवरण हो।
8. सभी अभियन्ता कार्य पर गहन दृष्टि रखते हुए यह सुनिश्चित करें कि गुणवत्तापूर्वक स्वीकृत डिजायन एवं आगणन अनुसार ही कार्य हों।
9. नाले/नाली बनाते समय यह सुनिश्चित करें कि उनके पानी की समुचित निकासी हो। ऐसे नाले/नाली न बनायें जिनके पानी का निकास न हो। नाले/नाली का एस्टीमेट बनाते समय ढाल अवश्य देख लें।

10. सड़क बनाते समय यह सुनिश्चित करें कि साइड पटरियों का ढाल सड़क की ओर न होकर नाली की ओर हो।
11. चौड़े नाले/नाली बनाते समय यथासम्भव डिजायन इस प्रकार का बनाया जाए कि वह ढके हो जिससे उनके अन्दर कूड़ा इत्यादि न जा सके तथा सफाई के लिए एक निश्चित दूरी पर मैनहॉल बनाया जाए जिससे नाले की सफाई हो सके।
12. किसी सड़क को बनाने के लिए पूर्व में भी निर्देशित किया गया है पुनः निर्देशित किया जाता है कि कोई भी रोड बिना अतिक्रमण हटाये न बनायी जाए तथा अतिक्रमण हटाकर सड़क बनाने की जिम्मेदारी अवर अभियन्ता/सहा0अभि0/अधि0अभि0 की होगी।
13. जो कार्य ठेकेदारों ने अद्योहस्ताक्षरी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व प्रारम्भ किये हैं उनकी गुणवत्ता ठीक न होने से उनका भुगतान नहीं हुआ है। निर्देशित किया जाता है जो भी कार्य आधे-अधूरे पड़े हैं उन्हें गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। यह कार्य मुख्य अभियन्ता स्वयं अपनी देखरेख में करायें तथा प्रत्येक कार्य का निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करें।
14. प्रत्येक कार्य का पर्यवेक्षण करने एवं समय से पूर्ण कराने की जिम्मेदारी मुख्य अभियन्ता की है वह यह सुनिश्चित करें कि समय से कार्य पूर्ण हों।
15. यह भी संज्ञान में आया है कि मौके पर कार्य पूर्ण हो चुका है परन्तु रनिंग बिल के बाद अन्तिम बिल नहीं बनाया गया है। रनिंग बिल बनाने के बाद अन्तिम बिल कार्य पूर्ण होने के एक सप्ताह के बाद बना दिया जाए और नियमानुसार परीक्षण कर भुगतान की कार्यवाही की जाए।
16. माप पुस्तिका में जो मापें दर्ज की जाती है उसमें यह अंकित नहीं होता है कि कहाँ से कहाँ तक की माप ली गयी है। उदाहरण- ए से बी तक के मकान की सड़क बनायी गयी है तो माप पुस्तिका में ए-मकान से बी-मकान की माप अंकित होनी चाहिए जिससे निरीक्षण के समय माप के संबंध में कोई दुविधा न रहे एवं स्थल पर माप स्पष्ट हो।
17. यह भी देखा गया है कि कम्पलीशन प्लान बिल भुगतान के साथ नहीं बनाया जाता है। अतः रनिंग बिल बनाने पर जिन मापों को बिल भुगतान में अंकित किया जाता है उसे कम्पलिशन प्लान में दर्ज कराते हुए नाले-नाली के क्रास-सैक्शन भी बनाते हुए बिल के साथ प्रस्तुत किया जाए।

15/1/2013
(दिनेश कुमार सिंह)
नगर आयुक्त

प्रतिलिपि -
1. अपर नगर आयुक्त।
2. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी।
3. मुख्य अभियन्ता
4. समस्त अधि0अभि0-निर्माण
5. समस्त सहा0अभि0/अवर अभि0

15/1/2013
(दिनेश कुमार सिंह)
नगर आयुक्त

10. सड़क बनाते समय यह सुनिश्चित करें कि साइड पटरियों का ढाल सड़क की ओर न होकर नाली की ओर हो।
11. चौड़े नाले/नाली बनाते समय यथासम्भव डिजायन इस प्रकार का बनाया जाए कि वह ढके हो जिससे उनके अन्दर कूड़ा इत्यादि न जा सके तथा सफाई के लिए एक निश्चित दूरी पर मैनहॉल बनाया जाए जिससे नाले की सफाई हो सके।
12. किसी सड़क को बनाने के लिए पूर्व में भी निर्देशित किया गया है पुनः निर्देशित किया जाता है कि कोई भी रोड बिना अतिक्रमण हटाये न बनायी जाए तथा अतिक्रमण हटाकर सड़क बनाने की जिम्मेदारी अवर अभियन्ता/सहा0अभि0/अधि0अभि0 की होगी।
13. जो कार्य ठेकेदारों ने अद्योहस्ताक्षरी के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व प्रारम्भ किये हैं उनकी गुणवत्ता ठीक न होने से उनका भुगतान नहीं हुआ है। निर्देशित किया जाता है जो भी कार्य आधे-अधूरे पड़े हैं उन्हें गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। यह कार्य मुख्य अभियन्ता स्वयं अपनी देखरेख में करायें तथा प्रत्येक कार्य का निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करें।
14. प्रत्येक कार्य का पर्यवेक्षण करने एवं समय से पूर्ण कराने की जिम्मेदारी मुख्य अभियन्ता की है वह यह सुनिश्चित करें कि समय से कार्य पूर्ण हों।
15. यह भी संज्ञान में आया है कि मौके पर कार्य पूर्ण हो चुका है परन्तु रनिंग बिल के बाद अन्तिम बिल नहीं बनाया गया है। रनिंग बिल बनाने के बाद अन्तिम बिल कार्य पूर्ण होने के एक सप्ताह के बाद बना दिया जाए और नियमानुसार परीक्षण कर भुगतान की कार्यवाही की जाए।
16. माप पुस्तिका में जो मापें दर्ज की जाती है उसमें यह अंकित नहीं होता है कि कहाँ से कहाँ तक की माप ली गयी है। उदाहरण- ए से बी तक के मकान की सड़क बनायी गयी है तो माप पुस्तिका में ए-मकान से बी-मकान की माप अंकित होनी चाहिए जिससे निरीक्षण के समय माप के संबंध में कोई दुविधा न रहे एवं स्थल पर माप स्पष्ट हो।
17. यह भी देखा गया है कि कम्पलीशन प्लान बिल भुगतान के साथ नहीं बनाया जाता है। अतः रनिंग बिल बनाने पर जिन मापों को बिल भुगतान में अंकित किया जाता है उसे कम्पलिशन प्लान में दर्ज कराते हुए नाले-नाली के क्रास-सैक्शन भी बनाते हुए बिल के साथ प्रस्तुत किया जाए।

15/1/2013
(दिनेश कुमार सिंह)
नगर आयुक्त

प्रतिलिपि -
1. अपर नगर आयुक्त।
2. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी।
3. मुख्य अभियन्ता
4. समस्त अधि0अभि0-निर्माण
5. समस्त सहा0अभि0/अवर अभि0

15/1/2013
(दिनेश कुमार सिंह)
नगर आयुक्त